न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 61 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

1. चतरा पिता जगा जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती हीरकी बेवा जगा जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) नाम हटाया गया
3. श्रीमती अमरी उर्फ अमरती (पिता जगा जी) पत्नी लोगर जी भील, निवासी भैसडाकला (मगरी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजेन्द्र पिता धन्ना जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पेमा पिता धन्ना जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गुलाबी (पिता धन्ना जी) पत्नी अमरा जी भील, निवासी भैसडाकला (मगरी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती हमेरी पत्नी धन्ना जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता मोटा जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. दूदा पिता मोटा जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती शोभाबाई (पिता मोटा जी) पत्नी नाथू जी भील, निवासी भैसडाकला (मगरी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. परथा पिता धूला जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पेमा पिता धूला जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गुलाबी पत्नी धूला जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती गेन्दी (पिता धूलीराम) पत्नी सुरेश जी भील, निवासी वीरधोलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती नानू (पिता धूलीराम) पत्नी सुरेश जी भील, निवासी खेमली गांव, रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये सहायक कलक्टर, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:36 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
06.10.1994 प्रकरण संख्या 142/92

———/———

उपस्थित :— 1— श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रे. सं. 1 से 8
3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. 9

———::———

निर्णय दिनांक 30—05—2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी मोटा पिता देवा ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रख्यावल में आराजी नंबर 2199/2028 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित पैत्रृक सम्पत्ति है, जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी बड़ा भाई होने से उसके नाम अंकित हो गयी, जबकि इस आराजी में वादी का भी 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः वादी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती करायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06—10—1994 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08—09—2020 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24—08—2020 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5, 6 उक्त आराजी पर आये तथा अपीलान्ट से कहा कि आधा हिस्सा मेरा है इसलिए आधे हिस्से पर कब्जा हम करेंगे। जानकारी होने पर नकल दिनांक 27—08—2020 को प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 26 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है वह न तो उचित है एवं न ही पर्याप्त। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–10–1994 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08–09–2020 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस है अर्थात दिनांक 05–12–1994 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील दिनांक 08–09–2020 को अर्थात करीब 25 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही 25 वर्ष से भी अधिक विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 06–10–1994 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:36 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

चतरा पिता जगा जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी रख्यावल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**तुलसीराम पिता मोटा जी भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी रख्यावल, तह.वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**61/20**....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी ..... वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....06**.....माह.....**10**.....**1994**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**...माह.....**05**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ओंकारलाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री तुलसीराम डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 06–10–1994 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**05**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:36 IST
Reason: SelfAttested